email_id : dcourtkhd-mp@nic.in Phone No. : 0733-2921001

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)

–:: विविध आदेश ::–

क्रमांकः 68 /को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 07 मई, 2021

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये जारी मानक सुनवाई प्रक्रिया संबंधी परिपत्र क्रमांक ए/113 जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी, 2021 एवं परिपत्र क्र. ए/1095 दिनांक–26.03.2021, एडिशनल एस.ओ.पी. क्र. ए/1149 दिनांक–03.04.2021, एडिशनल एस.ओ.पी. दिनांक–20.04.2021 के पालन में कार्यालय से जारी विविध आदेश क्रमांक 51/को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 22.04.2021 की निरन्तरता में कोविड–19 से उत्पन्न संक्रमणकाल की भयावहता को देखते हुए तथा न्यायालय जिला दंडाधिकारी, जिला खण्डवा म0प्र0 द्वारा विविध आप0प्र0क0–50/21 में दिये गये आदेश दिनांक 07.05.2021 के प्रकाश में मैं, एल0डी0 बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा दिनांक 08.05.2021 से अन्य आदेश तक के लिए जिला न्यायालय पूर्व निमाड़ खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, उप–तहसील मांधाता (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा में सभी न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण, न्यायिक कर्मचारीगण, पुलिस विभाग से अनिवार्यतः पालन की अपेक्षा करते हुए पूर्णतया वी0सी0 के माध्यम से सुनवाई हेतु निम्नानुसार निर्देश–आदेश जारी करता हूं कि :–

(1) प्रत्येक कार्य दिवस में तात्कालिक एवं अत्यावश्यक सुनवाई योग्य वादपत्र, सिविल नियमित एवं विविध अपील, जमानत आवेदनपत्र, सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र ई–फाईलिंग द्वारा दोपहर 02.00 बजे तक पेश कर दिये जावें। इस समय के पश्चात् पेश होने वाले ऐसे मामलों को आगामी कार्य दिवस में ही सुनवाई में लिया जा सकेगा।

(2) जमानत आवेदनपत्र/सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र में केस डायरी संबंधित न्यायालय को मय प्रतिवेदन प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 02.00 बजे तक उपलब्ध करवा दी जावे, प्रत्येक पुलिस थाना द्वारा CCTNS पर भी संबंधित केस डायरी अपडेट रखी जायें, ई–मेल के माध्यम से संबंधित न्यायालय को उपलब्ध करा दी जावें।

(3) सत्र न्यायालय (अपर सत्र न्यायालय), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/सिविल जज के न्यायालय प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 02.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक तात्कालिक एवं अत्यावश्यक कार्य का निष्पादन करेंगे। चूंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो रहे हैं, अतः प्रत्येक कार्य दिवस में ऐसे न्यायिक अधिकारियों के द्वारा अपने कर्त्तव्य का निष्पादन किया जावेगा, जो कि अवकाश पर नहीं है अर्थात् प्रथम कार्य दिवस को वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा और उसके आगामी दिवस में अन्य उपलब्ध अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा क्रमशः न्यायिक कार्य का निष्पादन किया जावेगा। प्रत्येक कार्य दिवस और प्रत्येक अवकाश दिवस में उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट में से किसी एक अथवा एक से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य निष्पादन हेतु आदेश के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डवा को अधिकृत किया जाता है। उनके अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा सुसंगत आदेश जारी करें और उसकी एक प्रति कार्यालय को प्रेषित करें।

(4) नजारत अनुभाग, प्रतिलिपि अनुभाग, मालखाना अनुभाग, अभिलेखागार अनुभाग यथावत पूर्व आदेशानुसार ही जारी रखा जावेगा अर्थात् जो कर्मचारी जिस दिवस में अवकाश पर नहीं है, वे अपने कार्यालयीन कर्त्तव्य का निष्पादन यथावत करेंगे। किसी कारण से अभिलेखागार और प्रतिलिपि अनुभाग में कार्यरत कर्मचारीगण की संख्या में कमी

रहती अथवा कार्य की अधिकता होती है तो उपरोक्तानुसार वर्णित न्यायिक अधिकारीगण के न्यायालयों से भिन्न न्यायालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण की ड्यूटी लगाई जा सकेगी। उक्त अवधि में सभी कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे, उन्हें किसी भी समय तात्कालीक एवं अत्यावश्यक कार्य के निष्पादन हेतु बुलाया जा सकेगा।

उक्तानुसार आदेश आज ही जारी किया जाए। प्रतियॉ संबंधित सभी को उपलब्ध कराई जाए।

सही/—
(एल0डी0 बोरासी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

पृष्ठां.क0 942/को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 07 मई, 2021

प्रतिलिपि :—

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा/ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/ तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम् सिविल जज वर्ग–1, खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/ द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग–2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला न्यायालय खंडवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
04. कलेक्टर, जिला खण्डवा,
05. पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा,
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा,
08. आयुक्त, नगर पालिका निगम, खण्डवा,
09. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा,
10. लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय, खण्डवा,
11. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, खण्डवा,
12. अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा,
13. प्रशासनिक/उप–प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा,
    की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)